



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-3030-औसं-17/पाकालि/2023-11(01)ए०एस०/०९ (23-24)

दिनांक: 07 जुलाई, 2023

विषय :- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता पूर्ववत् कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों/शर्तों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औसं-17/पाकालि/०२, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या-3593-औसं-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3330-औसं/2018-11(28)ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों को दी गयी मान्यता सम्बन्धी भिन्न-भिन्न आदेशों के अनुक्रम में निम्नलिखित चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता एतद्वारा उनको दी गयी पूर्व मान्यता अवधि से निरन्तरता प्रदान करते हुए दिनांक 30.04.2024 तक निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

क्रम सं०	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रभावी तिथि
1	लखनऊ आस्था सेन्टर फॉर गिरीयाट्रिक मेडिसिन पालिएटिव केयर हॉस्पिटल एण्ड सोसियल वेलफेयर सोसाइटी बी-52, जे-पार्क, महानगर, लखनऊ।	30.04.2024
2	एस०सी० त्रिवेदी मैमोरियल मदर एण्ड चाइल्ड ट्रस्ट हॉस्पिटल, ए-1/7, सेक्टर-एच, निकट केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।	30.04.2024
3	एस०के०डी० हॉस्पिटल, केबीसी-27, सेक्टर-बी, फिनिक्स मॉल के पास, आलमबाग, कानपुर रोड, लखनऊ।	30.04.2024
4	चरक हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ।	30.04.2024
5	मेडिक्स इण्टरनेशनल लाइफ साइंसेज लि० (अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटलस) के०बी०सी०-31, सेक्टर-बी एल०डी०ए० कालोनी कानपुर रोड, लखनऊ।	30.04.2024
6	डिवाइन हार्ट एण्ड मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, विराज खण्ड इन्स्टीट्यूशनल एरिया-5 योमतीनगर, लखनऊ।	30.04.2024
7	लखनऊ कैन्सर इन्स्टीट्यूट, मानस नगर, जियामऊ, लखनऊ।	30.04.2024
8	अभिनव दृष्टि नेत्र चिकित्सालय, बी-719, सेक्टर-सी, महानगर, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)	30.04.2024
9	डा० सुबोध अग्रवाल, मेमोरियल आई हॉस्पिटल, 3-सी/1 अपोजिट राणा प्रताप मार्ग, हजरतगंज लखनऊ। (एकल विशिष्टता)	30.04.2024
10	लखनऊ आई हॉस्पिटल, 82/40-क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग लालकुआँ, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)	30.04.2024

Medical New Letter

P. Kumar



मेरठ 11	जसवन्त राम स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, मवाना रोड, मेरठ। (आदेश सं०-1929 दि० 30.05.2015 द्वारा हृदय तथा अन्य गम्भीर रोगों हेतु कैशलेस उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	30.04.2024
गाजियाबाद 12	यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, एच-1, कौशाम्बी, गाजियाबाद।	30.04.2024
13	यशोदा हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर 3 एम, नेहरू नगर गाजियाबाद। (हृदय/गम्भीर रोगों के कैशलेस उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	30.04.2024
14	मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, डब्लू-3 सेक्टर-1 वैशाली, गाजियाबाद (उ०प्र०)।	30.04.2024
15	मानव मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, बी-ब्लाक मार्केट, कविनगर, गाजियाबाद। (आदेश सं०-3246-औसं-17 पाकालि/19 दिनांक 18.09.19 द्वारा गम्भीर रोगों हेतु कैशलेस की सुविधा)	30.04.2024
16	ली क्रैस्ट हॉस्पिटल, प्लाट नं०-आईएनएस-13, सेक्टर-4, नियर बुद्ध चौक वसुन्धरा गाजियाबाद।	30.04.2024
नोयडा 17	मैट्रो हॉस्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, सेक्टर-11-12, नोयडा। (हृदय/गम्भीर रोगों के कैशलेस उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	30.04.2024
18	कैलाश हॉस्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, एच-33, सेक्टर-27, नोयडा। (हृदय के कैशलेस उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	30.04.2024
19	फेलिक्स हेल्थ केयर प्रा०लि०, एन०एच०-01, सेक्टर-137, नोयडा। (आदेश सं०-1725-औसं-17/2023 दि० 25.04.2023 द्वारा हृदय के कैशलेस उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	30.04.2024
20	यथार्थ वेलनेस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेण्टर, एन०एच०-01, सेक्टर-110, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।	30.04.2024
21	नेयो हॉस्पिटल, डी-170-ए, सेक्टर-50, नोयडा।	30.04.2024
बुलन्दशहर 22	मोहन हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर, सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर।	30.04.2024
कानपुर 23	फार्च्यून हॉस्पिटल, 117/क्यू/40-ए, शारदानगर, कानपुर।	30.04.2024
प्रयागराज 24	प्राची हॉस्पिटल, सेक्टर-सी-105, शान्तिपुरम्, फाफामऊ, इलाहाबाद।	30.04.2024
नई दिल्ली 25	फोर्टिस एस्कार्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेण्टर, लि०, ओखला रोड नई दिल्ली	30.04.2024

- उपर्युक्त चिकित्सालयों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
- कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
- सूची में उल्लिखित अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार हेतु मान्यता प्राप्त समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा संस्थान वाह्य रोगी के रूप में गम्भीर रोगों हेतु लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों का उपचार कराने हेतु भी मान्य होंगे। वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-2335-औसं०-17/पाकालि/2020 दिनांक 27.08.2020 द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

Medical New Letter

Punam

4. उक्त समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा संस्थान उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के साथ-साथ उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के कार्मिकों/पेशानरों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के उपचार हेतु भी अधिकृत होंगे।
5. सूचीबद्ध किसी भी चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-3030 (1) औसं-17/पाकालि/2023-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (का०प्र०) उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/निदेशक (कार्य एवं परियोजना), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केसको, कानपुर।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिकासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक (औ०सं०)/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)/ कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिकासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु।
16. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालयों से सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/पंजीकरण प्राधिकारी, उ०प्र०।
18. प्रबन्धकगण- सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
19. सचिव, विद्युत पेशानर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
20. कट फाइल।

भवदीय,

Ramul
प्रदीप कुमार

उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)